

उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का न्यायालय (सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

अपील वाद संख्या 06/2018


भैया सुरेन्द्र नाथ शाह

बनाम

जन सूचना पदाधिकारी

-सह-प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा


लोहरदगा ।

आदेश क्र० / तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर व गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
30.10.18	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह अभिलेख सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत भैया सुरेन्द्र नाथ शाह, ग्राम-हरमू रोड नदिया, लोहरदगा, पो0 -हरमू थाना-लोहरदगा, जिला लोहरदगा के अपील के आधार पर यह अभिलेख संघारित किया गया है ।</p> <p>अपीलकर्ता के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) के तहत जन सूचना पदाधिकारी-सह- प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, लोहरदगा से दिनांक 30.08.2018 को सूचना मांगी गई है जिसे उपलब्ध नहीं कराये जाने पर इनके द्वारा अपील दायर किया गया है ।</p> <p>सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता अनुपस्थित । जन सूचना पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, लोहरदगा के पत्रांक 345/वि0 दिनांक 30.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलकर्ता को ज्ञापांक 305(ए0)/वि0, दिनांक 10.09.2018 के द्वारा सूचना उपलब्ध करा दिया गया है । जो अभिलेख में संलग्न है ।</p> <p style="text-align: center;">अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, (सूचना का अधिकार अधिनियम) </div>	

ज्ञापांक :- 1504.C1j

दिनांक :- 30.10.18

प्रतिलिपि :- भैया सुरेन्द्र नाथ शाह, ग्राम-हरमू रोड नदिया, लोहरदगा, पो0 -हरमू थाना-लोहरदगा जिला लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित ।


 30/10/18

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी,
(सूचना का अधिकार अधिनियम)